छत्तीसगढ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

—:: आदेश ::—

नया रायपुर , दिनांक 18/11/2015

कमांक एफ 4—11/2015/18 (6) :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनॉक 01.06.2015 जिसके द्वारा **नगर पालिक निगम, राजनांदगांव** में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, को राज्य शासन एतदद्वारा निरस्त करते हुए **नगर पालिक निगम, राजनांदगांव** के लिए प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की निम्नानुसार अधिकतम संख्या निर्धारित करता है:—

क्र.	शाखा का नाम	पद श्रेणी	प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या
1	लोक निर्माण एवं भवन अनुज्ञा	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
		श्रमिक	21
2	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	श्रमिक (सफाई)	178
3	जल कार्य	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
		पंप अटेंडेंट	23
		हैण्डपंप मैकेनिक	20
		श्रमिक	17
4	विद्युत/यांत्रिकी	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2
		इलेक्ट्रिशियन	1
		चालक	34
		श्रमिक	12
5	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	4
6	उद्यानिकी	माली	10
		श्रमिक	35
7	राजस्व/बाजार	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
8	अग्निशमन	फायरमेन	3
9	डाटा सेन्टर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
	कुल		**366**

शर्तें :—

1 उपरोक्त तालिका अनुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल कर्मचारी मात्र प्लेसमेंट पर विहित प्रकियानुसार प्रतिस्पर्धा से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेगे। इसके एवज में, नियमित/संविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।

2 निकाय में, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु मानव बल की स्वीकृति के संबंध में संचालनालय के आदेश क्र. 462 दि. 11.05.2012 के अनुसार ही मानव बल (नियमित एवं प्लेसमेंट) रखे जावेंगे।

....2.....

3 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्यों, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय–समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर कुशल, अर्द्धकुशल अकुशल कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।

5 बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8 निकाय की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना में, भविष्य में रिक्त पद पर पूर्ति होने के समय, प्लेसमेंट के समान/समकक्ष कर्मचारियों की संख्या में स्वमेव, समानुपातिक कटौती हो जावेगी। उदाहरण स्वरूप यदि निकाय में सहायक ग्रेड–3 के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट में लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर की निर्धारित संख्या में स्वमेव 01 कर्मचारी की कमी हो जावेगी।

9 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण दैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की स्थिति (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।

10 आपात स्थिति/आकस्मिकता/प्राकृतिक संकट के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

11 उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लागू होने की तिथि से, निर्धारित संख्या से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी निकाय में रखे जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अतिरिक्त व्यय की कटौती उनके वेतन से करते हुए, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

18/11/15

(बी.एल.सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया रायपुर, दिनॉक 18/ **11 / 2015**

पृ. एफ 4–11 / 2015 / 18 (6)

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ0ग0, नया रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव,
5. महापौर / आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव,
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / दुर्ग
7. जिला प्रभारी ....
8. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / दुर्ग।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
10. रिकार्ड फाईल।

18/11/15

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

–:: आदेश ::–

नया रायपुर , दिनांक : 08/08/2017

क्रमांक : एफ 5–33/2017/18 :– राज्य शासन, एतद् द्वारा मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन, पृथकीकरण तथा कम्पोस्टिंग द्वारा, अपशिष्टों के निपटान हेतु **09 नगर पालिक निगमों में,** आवासीय/व्यवसायिक/आवासीय सह व्यवसायिक एवं अन्य संस्थानों की अनुमानित संख्या को संज्ञान में लेते हुए, कार्य संपादन में मितव्यतता के दृष्टिकोण से, **स्वहसहायता समूहों के सदस्यों की अधिकतम संख्या** निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार निर्धारित करता है :–

क्र.	नगर पालिक निगम का नाम	डोर टू डोर कलेक्शन हेतु आवश्यक मानव बल की संख्या	कम्पोस्ट शेड हेतु आवश्यक मानव बल की संख्या	मिनी टिप्पर हेतु आवश्यक वाहन चालक की संख्या	मिनी टिपर हेतु आवश्यक हेल्पर की संख्या
1	बीरगांव	166	4	21	21
2	दुर्ग	542	4	18	18
3	भिलाई–चरौदा	162	4	16	16
4	धमतरी	156	4	16	16
5	राजनांदगांव	244	4	12	12
6	जगदलपुर	216	4	56	56
7	कोरबा	778	4	24	24
8	रायगढ़	192	4	10	10
9	चिरमिरी	148	4	19	19
योग		**2604**	**36**	**192**	**192**

शर्ते :–

1 इस योजना का मूल उद्देश्य शहरों में जनभागीदारी से स्वच्छ वातावरण निर्मित करना है। साथ ही साथ महिला समूहों के लिए स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना है। अतएव उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वसहायता समूहों को निरंतर प्रोत्साहित कर, उनके सहयोग के लिए निकाय द्वारा समय–समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वसहायता समूहों के सदस्यों को प्रमाण–पत्र वितरित किये जावेंगे।

2 उपरोक्त तालिका अनुसार निकायवार मात्र स्वसहायता समूहों के सदस्य कार्य पर रखे जावेंगे। रेग पिकर्स को भी स्वसहायता समूहों में सम्मिलित कर, कार्य पर रखने में प्राथमिकता दी जावेगी।

3 नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत, स्वसहायता समूह स्वयंसेवी के रूप में कार्य करेंगे।

4 स्वसहायता समूहों के सदस्यों की अधिकतम संख्या उपरोक्त तालिका अनुसार रहेगी। निर्धारित संख्या के अतिरिक्त सदस्यों को कार्य पर रखने की स्थिति में, संबंधित निकाय के यथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेखा प्रभारी तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे तथा व्यय की गई अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधितों से की जावेगी।

5 शासन के आदेश क्र. 2902/1487/2017/18 दिनांक 22.04.2017 के अनुसार स्वसहायता समूहों के सदस्यों को उनके द्वारा पृथकीकरण किया गया, पुनर्चक्रित किये जाने योग्य सूखा कचरा (रिसाईक्लेबल) प्रदान किया जावेगा तथा इसके अतिरिक्त राशि रू. 5000/– प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से मानदेय राशि संबंधित स्वसहायता समूहों को उनके द्वारा प्रस्तुत देयक का परीक्षण करने के उपरान्त मात्र आरटीजीएस द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की जावेगी। किसी भी प्रकार का नगद/चेक द्वारा भुगतान पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

6 स्वसहायता समूहों का कार्य आंशिक (पार्ट टाईम) होगा तथा स्वसहायता समूहों के सदस्यों को सफाई मित्र के नाम से संबोधित/उल्लेखित किया जावेगा।

7 निकाय में, मिशन क्लीन सिटी से संबंधित कार्य करने हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या की उपलब्धता के अनुसार, स्वसहायता समूहों की संख्या 01 या उससे अधिक हो सकती है।

8 निकाय में कार्यरत स्वसहायता समूहों को 90 दिवस के समयावधि व्यतीत होने के पूर्व छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

9 निकाय में कार्यरत समूह, एक सोसायटी के समग्र या पृथक–पृथक सोसायटी के रूप में पंजीकरण करा सकते है।

10 निकाय के अधिकारियों द्वारा स्वसहायता समूहों को निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराने हेतु यथोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जावेगा।

11 आईसीटी उपस्थिति के आधार पर ही, मानदेय का मासिक भुगतान कार्यरत स्वसहायता समूह/सोसायटी को किया जावेगा।

12 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 06 माह तक लगभग 46 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी। शेष राशि यूजर चार्जेस से प्राप्त होने वाली समस्त राशि निकाय द्वारा बैंक में एक खाता खोलकर एकत्रित की जावेगी, जिससे स्वसहायता समूहों को मासिक मानदेय का भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त राशि का विधिवत लेखा संधारण किया जावेगा।

13 समस्त सफाई मित्रों को प्रथम वर्ष में 02–02 वर्दी, निकाय द्वारा सिलवाकर उपलब्ध करायी जावेंगी, इसके अतिरिक्त गमबूट, मोजा, परिचय पत्र, नेम बेच, रबर एवं कॉटन के दस्ताने, मास्क एवं निर्देशित अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जावेगी। इसके लिए निकायों को सूडा द्वारा पृथक से राशि जारी की गई है।

14 उपरोक्त तालिका में दर्शित डोर टू डोर कलेक्शन हेतु स्वसहायता समूह के सदस्य में से प्रत्येक ट्राय सायकल हेतु 02–02 तथा आटो टिप्पर में एक चालक एवं सहायक नियुक्त किया जावेगा। चालक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी यथोचित लायसेंस होना अनिवार्य रहेगा।

15 कम्पोस्टिंग शेड में कार्यरत स्वसहायता समूहों के सदस्यों को डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सदस्यों द्वारा एकत्रित किया गया, 01–01 दिवस का पुनर्चक्रित किये जाने योग्य सूखा कचरा (रिसाईक्लेबल) चक्रानुक्रम (रोटेशन बेसिस) पर प्रदान किया जावेगा, जिसे वे स्वयं विक्रय कर आय अर्जित करेंगे। इसके लिए निकाय द्वारा रोटेशन रजिस्टर तैयार किया जावेगा।

16 आटो टिप्पर के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन में एकत्रित किया गया पुनर्चक्रित किये जाने योग्य सूखा कचरा (रिसाईक्लेबल) वाहन चालक एवं हेल्पर में प्रति दिवस समान मात्रा में बांटकर लिया जावेगा, जिसे दोनों स्वयं विक्रय कर आय अर्जित कर सकेंगे।

17 डोर टू डोर कलेक्शन हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर यूजर चार्जेस का कलेक्शन संबंधित सफाई मित्रों द्वारा किया जावेगा, जिसके 24 घण्टे के अन्दर/अगले कार्य दिवस तक निकाय में जमा कर, पावती प्राप्त की जावेगी। निकाय के कर्मचारी वसूली कार्य में स्वसहायता समूहों के सदस्यों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस कार्य हेतु रसीद बुक निकाय द्वारा प्रदान की जायेगी।

18 विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले मानक संचालन विधि (Standard Operating Procedure) अनुसार ही कार्य का संपादन किया जावेगा।

19 एसएलआरएम सेन्टर में निकाय हेतु निर्धारित प्लेसमेंट की अधिकतम सीमा के अतंर्गत 01 रात्रिकालीन चौकीदार तथा 01 सुपरवाईजर मॉनिटरिंग हेतु रखा जावेगा। यह कर्मचारी निकाय के नियमित कर्मचारी भी हो सकते है। इसके लिए पृथक से कोई नियुक्ति किये जाने का प्रतिशेध रहेगा।

20 निकायों में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य क्रमिक रूप से प्रारंभ किया जावेगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार ही स्वसहायता समूहों के सदस्यों को कार्य पर लगाया जावेगा तथा प्लेसमेंट के अतिरिक्त कर्मचारी भी समानुपातिक रूप से हटाये जावेंगे, ताकि निकाय की स्वच्छता तथा वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सके।

21 शासकीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि से समन्वय कर, प्रतिमाह स्वसहायता समूहों के समस्त सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण निकाय द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।

22 कार्यरत स्वसहायता समूहों को निकायों में प्रचलित भागीरथी नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं तथा समूह बीमा योजना आदि की जानकारी समय–समय पर प्रदान की जावेगी तथा संबंधित योजनाओं के दिशा–निदेशों में उल्लेखित पात्रताओं के अनुसार उनका लाभ भी प्रदान किया जावेगा।

23 एसएलआरएम सेन्टर को स्वच्छ तथा साफ–सुथरा रखने की जिम्मेदारी संबंधित स्वसहायता समूहों की रहेगी, जिसका समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा।

24 एसएलआरएम सेन्टर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (फर्स्ट एड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। अग्नि दुर्घटना से रक्षा हेतु फायर सेफ्टी यंत्र की व्यवस्था की जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एच.आर. दुबे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक : एफ 5—33 / 2017 / 18 नया रायपुर दिनांक : 08 / 08 / 2017

<u>प्रतिलिपि :—</u>

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / दुर्ग।
7. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / दुर्ग।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई—चरौदा, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं चिरमिरी को पालनार्थ।
9. समस्त आंतरिक अंकेक्षक, नगरीय प्रशासन एव विकास, छ.ग.।

8\. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9\. गार्ड फाईल हेतु।

8/8

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग